न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :— अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना संख्याः— 215/2024

ग्राम पंचायत 18 एसपीडी जरिये सरपंच मंजू पत्नी संजय कुमार जाति जाट साकिन 13 एसपीडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—— प्रार्थी

—:बनामः—

1. बलवीर पुत्र गोपीराम जाति नाई साकिन 18 एसपीडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. इन्द्रा देवी पत्नी रामकुमार जाति जाट साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ ।
4. गुरदेव सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति रायसिख साकिन 18 एसपीडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. सुलतान पुत्र जैसाराम जाति बावरी साकिन 18 एसपीडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
6. इकबाल सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति रायसिख साकिन 18 एसपीडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री हीरालाल बिरथलिया	प्रार्थी
2. श्री महेन्द्र सैन	अप्रार्थी संख्या 1,2,5,6
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा	अप्रार्थी संख्या 3

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 18/12/2024

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अन्तर्गत धारा 251—क राजस्व काश्तकारी अधिनियम अप्रार्थीगण के विरूद्ध अधिवक्ता श्री जगजीत सिंह रमाणा के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी निम्न प्रकार से हैः—यह कि ग्राम पंचायत 17 एसपीडी के नाम से गै.मु. आबादी भूमि चक 17 एसपीडी के खाता सं. 75 के प.नं. 63/373, 63/374 कुल 5.516 हैक्ट. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074—77 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है यह कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 17 एसपीडी के खाता सं. 36 के प.नं. 63/374 के किला नं. 10 की 0.25 हैक्ट. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074—77 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चित्रप्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.12.19 17:09:18 IST
Reason: SelfAttested

यह कि अप्रार्थी सं. 2 के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 17 एसपीडी के खाता सं. 6 के प.नं. 63/374, 64/376 कुल 3.2138 हैक्ट. अ.क. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074—77 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चित्रप्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि चक 17 एसपीडी के प.नं. 63/374 के किला नं. 20 की सींव पर किला नं. 21 मे जाखड़ावाली से सूरतगढ़ पक्की रोड़ चल रही है और उस पक्की सड़क से ग्राम आबादी 17 एसपीडी को अप्रार्थीगण की कृषि भूमि मे से सहमति से घरेलू रास्ता छोडा हुआ है जो काफी अर्सा समय से चला आ रहा है और ग्रामवासी उक्त रास्ता का उपयोग करते आ रहे है। अप्रार्थीगण की कृषि भूमि मे उक्त घरेलू रास्ता राजस्व अभिलेख मे दर्ज नही होने से गांव के विकास कार्य मे काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त घरेलू रास्ता के संबंध मे अपनी लिखित सहमति दी हुई है कि वे कभी भी उक्त रास्ता को बन्द नही करेंगे तथा ग्रामवासीयों के आवगमन मे किसी प्रकार की विघ्न या रूकावट पैदा नही करेगे। भविष्य मे ग्राम पंचायत अप्रार्थीगण की कृषि भूमि मे से रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए स्वतंत्र होगी। ग्राम आबादी 17 एसपीडी की भूमि को उकत रास्ता के अलावा अन्य कोई निकटम एवं सरलतम रास्ता नही लगता है इसलिए उक्त तत्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए चक 17 एसपीडी के प.नं. 63/374 के किला नं. 10, 11, 20 प्रत्येक किला मे 0.025 0.025 हैक्ट. गै.मु. रास्ता बैजानिव पश्चिमी दिशा स्वीकृत किया जाकर राजस्व अभिलेख मे अंकन किया जावे। रास्ता की एवज मे अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व मे ही ग्राम पंचायत 17 एसपीडी की ग्रामवासियों से प्रतिफल प्राप्त कर लिया था इसलिए अप्रार्थीगण किसी प्रकार का अनुतोष रास्ता के एवज मे प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 17 एसपीडी के प.नं. 63/374 के किला नं. 10, 11, 20 प्रत्येक किला मे 0.025 – 0.025 हैक्ट. गै.मु. रास्ता बैजानिव पश्चिमी दिशा स्वीकृत किया जावे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट सरिस्ता दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री महेन्द्र सेन अधिवक्ता ने वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1, 2 की और से निम्न प्रकार से है– यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 राजस्व रिकॉर्ड की हद तक स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 मे मिन अप्रार्थी सं. 1 के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 17 एसपीडी के खाता सं. 36 के प. नं. 63/374 के किला नं. 10 की 0.253 हैक्ट. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जो कि स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 3 मे मिन अप्रार्थी सं. 2 के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 17 एसपीडी के खाता सं. 6 के प.नं. 63/374, 64/376 कुल 3.2138 हैक्ट. अ.क. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जो कि स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 4 मे वर्णित कथन स्वीकार है। चक 17 एसपीडी के प. नं. 63/374 के किला नं. 20 की सींव पर किला नं. 21 मे जाखड़ावाली से सूरतगढ़ पक्की रोड़ चल रही है और उस पक्की सड़क से ग्राम आबादी 17 एसपीडी को अप्रार्थीगण की कृषि भूमि मे से सहमति से घरेलू रास्ता छोडा हुआ है जो काफी अर्सा समय से चला आ रहा है और ग्रामवासी उक्त रास्ता का उपयोग करते आ रहे है। मिन अप्रार्थीगण गांव के विकास कार्य मे करवाने मे सहमत है और मिन अप्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 17 एसपीडी के प.नं. 63/374 के किला नं. 10, 11, 20 प्रत्येक किला मे 0.025 – 0.025 हैक्ट. गै.मु. रास्ता बैजानिव पश्चिमी दिशा स्वीकृत किया जाकर राजस्व अभिलेख मे अंकन किया जाता है तो मिन अप्रार्थीगण पूर्णतः सहमत एवं रजामन्द है । रास्ता की एवज मे अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व मे ही ग्राम पंचायत 17 एसपीडी की ग्रामवासियों से प्रतिफल प्राप्त कर लिया था इसलिए मिन अप्रार्थीगण किसी प्रकार का कोई प्रतिफल या भूमि प्राप्त नही करना चाहते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.12.19 17:09:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मिन अप्रार्थीगण की कृषि भूमि मे से रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो मिन अप्रार्थीगण पूर्णतः सहमत एवं रजामन्द है।

प्रकरण में तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रकरण में रास्ते में आने वाली भूमि से सम्बन्धित खाते के काश्तकारों में से गुरदेव सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति रायसिख साकिन 18 एसपीडी किला नं. 11/2 व सुल्तान पुत्र जैसाराम बावरी साकिन 18 एसपीडी किला नं. 21/3 व इकबाल सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह रायसिख साकिन 18 एसपीडी किला नं. 21/2 को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा संबधित पक्षकारों को वाद पत्र में पक्षकार संयोजित हेतु निवेदन किया गया एवं संशोधित शिर्षक स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है।

अप्रार्थी संख्या 5 व 6 की ओर से श्री महेन्द्र सैन अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जबाव प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 5, 6 की ओर से निम्न प्रकार से है रू– यह कि प्रार्थना पत्र की दफा । को साबित करने का भार प्रार्थी पर है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 को साबित करने का भार प्रार्थी पर है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 को साबित करने का भार प्रार्थी पर है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 को साबित करने का भार प्रार्थी पर है। मिन अप्रार्थीगण की कृषि भूमि मे से प्रार्थी किसी प्रकार से कोई रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है क्योंकि प्रार्थी मिन अप्रार्थीगण की कृषि भूमि मे से रास्ता स्वीकृत नही करवा सकता है क्योंकि चक 17 एसपीडी के प.नं. 63/374 के किला नं. 20 के दक्षिणी दिशा किला नं. 21/8/.038 गै.मु. रास्ता स्वीकृत तथा इस रास्ता के दक्षिण दिशा मे मिन अप्रार्थीगण की कृषि भूमि है इसलिए प्रार्थी मिन अप्रार्थीगण की कृषि भूमि मे से रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है और ना ही प्रार्थी ने मिन अप्रार्थीगण की कृषि भूमि मे से कोई अनुतोष चाहा है। तहसीलदार द्वारा गलत तरमीम के आधार पर मिन अप्रार्थीगण को पक्षकार संयोजित करवाने के लिए कहा गया है जो कि न्यायहित मे सही नही है। तहसीलदार पीलीबंगा से सही एवं मौका रिपोर्ट पुनः मंगवाई जावे ताकि वास्तविकता का सही ज्ञान हो सके। अतः जबाव प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मिन अप्रार्थीगण के हक हिस्सा तक खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से पुनः जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई पत्रांक 642 दिनांक 29.08.24 से प्राप्त हुई है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार ग्राम पंचायत 18 एसपीडी द्वारा चाहा जा रहा रास्ता मौके पर चालू है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड भूमिधारकों को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा चाहे जा रहे रास्ते के अलावा चक 18 एसपीडी की आबादी भूमि को कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.12.19 17:09:18 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभय पक्षसुनी गई। प्रकरण में प्रस्तुत द[illegible] अध्ययन कया गया है। बहस पर मनन कर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संलग्न दस्तावेजों शपथ [illegible] एवं हमारे द्वारा स्वयम् द्वारा मौका निरिक्षण किया गया जिसमें अप्रार्थी संख्या 4 [illegible] प्रभावित पक्षकार नहीं है एवं तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी [illegible] प्रार्थना पत्र राजस्व काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के तहत स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

—:आदेश:—

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों तहसीलदार पीलीबंगा रिपोर्ट का अवलोकन व अध्ययन किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट व प्रस्तुत नक्शा एव हमारे द्वारा मौका निरिक्षण के बाद तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत 17 एसपीडी प.नं. 63/374 के किला नं. 10, 11/1, 20 (**किला नं. 20 में स्थित खेजड़ी वृक्ष को छोड़ते हुये**) प्रत्येक में 0.025–0.025 हैक्ट. पश्चिम सीमा पर दक्षिण से उत्तर लम्बाई में रास्ता प्रार्थना पत्र अनुसार बिना किसी प्रतिफल के स्वीकृत किया जाता है। आदेशों की पालना में तहसीलदार उक्तानुसार रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 18/12/24 सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.12.19 17:09:18 IST
Reason: SelfAttested